





अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

भंवरीदेवी आदि बनाम इन्द्रचन्द आदि

किस्म मुकदमा :- 188 आरटीएक्ट 1955,

नं. मुकदमा..... 41 / 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
16.07.2021	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से एड. कुलदीप गौड़ द्वारा पेश किया गया। सरिस्ते से रिपोर्ट बाद प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी आईन्दा दिनांक 18.08.2021 को पेश हो।	
18/8/21	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरीकेन उप. वास्ते... आयन्दा दि... 17/09/2021 को पेश हो।  S.D.O.	212021 2317 18-8-21
17/9/21	उभयपक्ष/उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण को लोक अदालत में रैफर करने हेतु दोनों पक्ष सहमत अतः प्रकरण लोक अदालत में रैफर किया जाया। पत्रकारन प्र. पं. पर दिनांक 14/12/21 को पेश हो।	
14/12/21	पत्रावली राजस्व लोक अदालत में पेश हुई पत्रकारन उप./अनु./अधिवक्ता उभयपक्ष उप./अनु. पत्रकारन से समझाईश की गई परन्तु राजीनामा नहीं हुआ। अतः पत्रावली संबंधित न्यायालय में आईन्दा दिनांक 24/12/22 को पेश हो।	
24/12/22	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरीकेन उप. वास्ते... आयन्दा दि... 11/14/22 को पेश हो।  S.D.O.	
17/01/22	पत्रावली पेश हुई। शावादे लगवानी गयी वा-वा-वा शावादे लगवानी जाने के बाद पत्रावली उपस्थित नहीं मिली यह उचित होता है ही पत्रावली वा-वा-वा में स्थिति नहीं चलकर है। अतः वा-वा-वा गयी पत्रावली शावादे लगवानी एवं शावादे पत्रावली में रजिस्ट्रिज रिकॉर्ड किया है। पत्रावली निष्पत्ति में शावादे एडवोकेट पत्रावली रिकॉर्ड है।	


उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर